भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2388
दिनांक 03.12.2019/12 अग्रहायण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं

2388. श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने देश में नई केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्तमान केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाने और उक्त नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए पृथक रूप से आवंटित , जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): विगत तीन वर्षों के दौरान, गृह मंत्रालय ने भोपाल एवं गुवाहाटी में केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) के लिए नए भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इन सीएफएसएल ने अपने नए भवनों में कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्तम, पुणे स्थित सीएफएसएल के लिए नए भवन के निर्माण का काफी कार्य पूरा कर लिया है।

(ग): विगत तीन वर्षों के दौरान , मौजूदा सीएफएसएल की स्थिति में सुधार लाने और नए सीएफएसएल की स्थापना करने के लिए आवंटित/जारी पूंजीगत निधियों और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

लो.स.अता.प्र.सं.2388

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आवंटित/जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
2016-17	15.56	14.09
2017-18	31.16	29.61
2018-19	32.85	29.58

इसके अतिरिक्तक, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए वर्ष 2018-19 में निर्भया निधि के तहत 8.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

****